तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/12/22

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2021 बउनवान सलमा बनाम रूस्तम में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम रतनपुरा तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 38/1, 39/1, 40, 40/5, 38/2, 40/3, 43, 50, 53/1, 54/5, 55, 56, 72/3, 73/1, 73/5, 74, 79 अपीलाण्ट की कृषि भूमि है। जिसमें रेस्पोडेण्ट का कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करवाया कि वादग्रस्त आराजी का किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण नहीं करे। अपीलाण्ट को अपना हिस्सा अपनी जायज जरूरत हेतु बेचने का पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट मुस्लिम है। एव मुस्लिम विधि से गवर्न होते है। मुस्लिम विधि में पैतृक पुश्तैनी व जन्म से ही हक अधिकार बाबत् सिद्धान्त व प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए रेस्पोडेण्ट द्वारा मूल वाद ही पोषनीय नहीं है। तो अंतरिम अस्थाई जारी करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.08.2021 को स्थगन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है, जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का विवादित आराजी में कानूनन हक व अधिकार निहित है जिसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति रखे जाने का आदेश फरमावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2021 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक 31.08.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। एवं सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2021 बउनवान सलमा बनाम रूस्तम में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.08.2021 को अपास्त किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली